अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2018-हिं.अ. दिनांक: 06.08.2018

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2018 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेमसिंह 06.08.18

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

वितरण:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा।
4. प्रशासन अधिकारी (भर्ती)।
5. प्रशासन अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केन्द्र।
6. प्रशासन अधिकारी, ज.प्र.न.ए. ट्रॉमा केन्द्र।
7. प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग।

श्री सतीश प्रसाद for N/A.
Mr. Sanjeev – Pl. upload
9/8/18

Mr. Aman
9/8/18

जारी–2/-

8. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय।
9. प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ।
10. प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ।
11. लेखा अधिकारी, वर्क्स ऑडिट अनुभाग।
12. लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2018 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 28.06.2018 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 21वीं बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी.के. बहल, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
5.	आचार्य एवं प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की प्रतिनिधि: श्रीमती रेनू भारद्वाज, प्रशासन अधिकारी	सदस्य
6.	आचार्य एवं प्रमुख, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्रविज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि: डॉ. प्रदीप शर्मा, आचार्य	सदस्य
7.	आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र की प्रतिनिधि: डॉ. राका जैन, आचार्य	सदस्य
8.	डॉ. वी.के. बहल, आचार्य एवं प्रमुख, हृद्वक्ष विज्ञान केंद्र	सदस्य
9.	आचार्य एवं अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी	सदस्य
10.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
11.	मुख्य प्रशासन अधिकारी (का.) के प्रतिनिधि: श्री बी.के. सिंह, प्रशासन अधिकारी	सदस्य
12.	श्री नरेंद्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य

13.	श्री सतीश प्रसाद, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सुविधा	सदस्य
14.	श्री प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, भण्डार अनुभाग (नि.का.)	सदस्य
15.	आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र के प्रतिनिधि: श्री नरेंद्र कुमार, प्रशासन अधिकारी	सदस्य
16.	श्री सतीश कुमार सिंह, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
17.	श्री सतीश कुमार सिंह, कार्यकारी प्रशासन अधिकारी, ज.प्र.न.ए. ट्रॉमा केंद्र	सदस्य
18.	श्रीमती प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
19.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
20.	श्री पल्लव कुमार चित्तेज, प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ एवं सामान्य अनुभाग	विशेष आमंत्रित
21.	श्री बी.के. सिंह, प्रशासन अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र एवं संकाय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
22.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि: श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष	विशेष आमंत्रित
23.	श्रीमती अनीता टेटे, प्रशासन अधिकरी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
24.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, एम.एस.यू. एवं वर्क्स ऑडिट अनुभाग	विशेष आमंत्रित
25.	श्री एस. एल. चमौली, सहायक प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित

डॉ. प्रवीण कुमार वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।**</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 27.04.2018 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारतवर्ष को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:

- "क" क्षेत्र में बिहार,छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	1. हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल आदि सहित) 2. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 3. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 4. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 5. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	 100% 100% 65% 100%	संस्थान/ केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	संस्थान/ केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
3	हिंदी में टिप्पण	75%	संस्थान/ केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	70%	सीमेट, शैक्षिक अनुभाग

5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ
6	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	संस्थान के सभी अधिकारीगण
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	भंडार अनुभाग/ कंप्यूटर सुविधा/ सभी केंद्र
11	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	कंप्यूटर सुविधा
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	इंजीनियरी सेवा विभाग/ सभी केंद्र
13(I) (II)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	वर्ष में 04 बैठकें	हिंदी अनुभाग/ सभी संबंधित केंद्र
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/ अनुभाग/ केंद्र

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 3 <u>संस्थान में हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी अधिकारी के तीन रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र डी.पी.सी. आयोजित की जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस संदर्भ में विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी कार्यालय में आरक्षण संबंधी एस.एल.पी. लगे होने कारण अभी तक इन पदों हेतु डी.पी.सी. नही हो पाई है लेकिन अब इस विषय में आदेश प्राप्त हो गए हैं इसलिए शीघ्र ही हिंदी अधिकारी के रिक्त पदों हेतु डी.पी.सी. आयोजित की जाएगी।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा हिंदी अधिकारी के तीन रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र डी.पी.सी. करके 15 सितम्बर, 2018 तक इन पदों को भर लिया जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 4 <u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में संस्थान में 04 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कॉन्ट्रेक्ट आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पद पर कार्यरत हैं जिन्हें नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि सभी केंद्रों में हिंदी अनुवादकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। सदस्य सचिव ने समिति को यह भी बताया कि हिंदी अनुवादकों के पदों हेतु भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है परंतु अभी तक इन पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों हेतु भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है और अभी इन पदों को रोस्टर में डाला जा रहा है जिसके बाद इन पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करके 15 सितम्बर से पहले इन पदों को भर लिया जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 5 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 57 प्रतिशत ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक तिमाही में संस्थान के 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा समेकित करने के पश्चात निदेशक महोदय के अनुमोदन से राजभाषा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान के उक्त 34 विभागों/अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों की समीक्षा समयाभाव होने के कारण सही प्रकार से नहीं हो पाती है, अत: प्रति तिमाही में बारी-बारी से उक्त अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाए जिसके अनुपालन में इस बैठक में समिति द्वारा संस्थान के निम्नलिखित अनुभागों/केंद्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, 2018) की समीक्षा की गई:

1. डॉ. रा.प्र. केंद्र
2. ज.प्र.न.ए. ट्रॉमा केंद्र
3. सामान्य अनुभाग
4. बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
5. संकाय प्रकोष्ठ
6. ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
7. वर्क्स ऑडिट अनुभाग
8. एम.एस.यू.

समिति द्वारा उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 6 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान के

20 कर्मचारीगण एवं 04 आशुलिपिक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त 2018 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कर्मचारियों से नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 13.06.2018 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार अगस्त 2018 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी कर्मचारी को उक्त अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करने से न रोका जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/सभी सम्बद्ध विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 7 संस्थान में विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं आदि के पुरस्कारों की राशि में <u>वृद्धि संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि संस्थान में परिचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्धारित पुरस्कारों तथा हिंदी पखवाडे के तहत आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं हेतु निर्धारित पुरस्कारों की राशि में बढौत्तरी होनी चाहिए।

समिति द्वारा उक्त विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि 7 वें वेतन आयोग के लागू होने के उपरांत उक्त पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए तथा वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय की सलाह से पुरस्कारों की राशि में उचित वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 8 संस्थान की वेबसाइट में नोटिस हैड के तहत अपलौड किए जाने वाले परिपत्र/नोटिस <u>आदि द्विभाषी होने संबंधी।</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान की वेबसाइट में इंट्रानेट के तहत नोटिस हैड में जो परिपत्र/ज्ञापन/पत्र आदि अपलोड किए जा रहे हैं वे अधिकांश अंग्रेजी में ही अपलोड किए जा रहे हैं जोकि नियमानुसार द्विभाषी या केवल हिंदी में ही अपलोड होने चाहिएं।

समिति ने इस तथ्य को गम्भीरता से लिया और आदेश दिया कि संस्थान की वेबसाइट पर जो भी परिपत्र ज्ञापन/आदेश/पत्र आदि अपलोड किया जाए वह अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी या केवल हिंदी में ही अपलोड किया जाना चाहिए। यदि कोई कागजात अपलोड हेतु केवल अंग्रेजी में ही

प्राप्त होता है तो कंप्यूटर सुविधा द्वारा ऐसे ज्ञापन/नोटिस को संबंधित विभाग/अनुभाग/केन्द्र को इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया जाए कि सम्बद्ध कागजात को अपलोड करने हेतु अनिवार्य तौर पर द्विभाषी रूप में कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य हेतु कंप्यूटर सुविधा जांच बिन्दु (चैक प्वाईंट) के रूप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कंप्यूटर सुविधा

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।